संशोधित

प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

दुष्कर्म एवम् हत्या के अभियोग में दोषसिद्ध अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास की सजा

दिनांक 15.7.21

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 15.7.2021 को दुष्कर्म से सम्बन्धित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर आजीवन कारावास एवम् अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना महोली से सम्बन्धित मु0अ0सं0 50/20 धारा 376AB/302/201 भादवि एवं 5m/6 PCSO Act बनाम राजू मिश्रा पुत्र कल्लू मिश्रा नि0 पीरपुर थाना महोली सीतापुर में महोली पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 15.7.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायालय PCSO Act सीतापुर (ASJ 14 PCSO COURT) द्वारा अभियुक्त राजू मिश्रा उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376 A B भादवि में आजीवन कठोर कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) व 50,000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 302 भादवि में आजीवन कठोर कारावास एवम् 50,000/- रुपये, धारा 201 भादवि में 5 वर्ष कठोर कारावास एवम् 10,000/-रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।